UPBU160002022017

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा बुलन्दशहर

पीठासीन अधिकारी– प्रियंवदा चौधरी (J.O Code– U.P. 3303)

परिवाद संख्या 672/2017

रविन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा निवासी ग्राम मैना मौजपुर थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर। **.....परिवादी।**

बनाम

1. ओमवीर पुत्र शंकरलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल
3. श्याम पुत्र ओमप्रकाश
4. गोविन्द पुत्र ओमप्रकाश
5. प्रदीप पुत्र हरिओम **.....अभियुक्तगण।**

समस्त निवासीगण ग्राम मैना मौजपुर थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

अर्न्तगत धारा 147, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

निर्णय

1. परिवादी रविन्द्र शर्मा के की ओर से प्रस्तुत परिवाद को न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2017 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। प्रस्तुत परिवाद के आधार पर अभियुक्तगण **ओमवीर, ओमप्रकाश, श्याम, गोविन्द व प्रदीप** का विचारण अन्तर्गत धारा 147, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत किया गया।

2. संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2017 को समय शाम करीब 08:00 बजे, स्थान मकान परिवादी ग्राम मैना मौजपुर थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्तगण ओमवीर, ओमप्रकाश, श्याम, गोविन्द व प्रदीप द्वारा विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर कर हिंसा का प्रयोग करते हुए परिवादी के घर का सामान कूलर, मेज व कुर्सी आदि को तोड़कर नुकसान कर रिष्टी कारित की तथा परिवादी व उसकी पत्नी के साथ लाठी-डण्डों से मारपीट कर गाली-गलौंच की व उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ।

3. परिवादी का बयान धारा 200 दं०प्र०सं० के अधीन अंकित किया गया तथा धारा 202 दं०प्र०सं० के तहत पी०डब्लू० 1 सुदेश देवी व पी०डब्लू० 2 सुनीता का बयान अंकित किया गया। तलबी के बिन्दु पर सुनवाई करने के उपरान्त अभियुक्तगण **ओमवीर, ओमप्रकाश, श्याम, गोविन्द व प्रदीप** को धारा **147, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं०** के अधीन प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.12.2017 के द्वारा विचारण हेतु तलब किया गया।

4. अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये, उनके द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। तदोपरान्त धारा 244 दं०प्र०सं० के तहत पी०डब्लू० 1 स्वयं परिवादी व

Addl. Chief Judicial Magistrate
Khurja, Bulandshahar.

पी०डब्लू० 2 सुशीला देवी को परीक्षित कराया गया। अन्य किसी साक्षी को परिवादी द्वारा न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया। परिवादी द्वारा दिनांक 17.06.2026 को न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश पत्र के हाशिये पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि इस स्तर पर अन्य कोई साक्ष्य नहीं देना है। तदोपरान्त पत्रावली वास्ते आरोप नियत की गयी।

5. अभियुक्तगण ओमवीर, ओमप्रकाश, श्याम, गोविन्द व प्रदीप के विरूद्ध दिनांक 30.06.2026 को धारा 147, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के तहत आरोप विरचित किया गया, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. परिवादी द्वारा धारा 246 दं०प्र०सं० के अर्न्तगत केवल पी०डब्लू० 1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया। दिनांक 21.07.2026 को परिवादी द्वारा आदेश पत्रांक पर अन्तर्गत धारा- 246 दं०प्र०सं० में इस स्तर पर अन्य कोई साक्ष्य ना दिये जाने का कथन किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा परिवादी का अन्तर्गत धारा- 246 दं०प्र०सं० का अवसर समाप्त कर पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गयी।

7. इसके उपरान्त अभियुक्तगण का दिनांक 21.07.2026 को बयान अर्न्तगत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया, जिसमें उन्होंने परिवाद गलत व झूठा चलने तथा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

8. पी०डब्लू० 1 परिवादी द्वारा मुख्य परीक्षा में धारा 244 दं०प्र०सं० के अधीन मुख्य बिन्दुओं पर कथन किया गया कि, “घटना दिनांक 01.06.2017 को समय करीब 8 बजे शाम की है। मैं अपने घर पर था। तभी ओमवीर शराब पीकर गाली-गलौंच करने लगा। प्रार्थी ने विरोध किया तो ओमवीर ने गोविन्द, श्याम, प्रदीप, ओमप्रकाश, मोहित व हरिओम को बुला लिया और मेरे घर में घुसकर मेरे साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर मेरे भाई की पत्नी सुदेश व मेरी पत्नी सुशीला ने आकर बचाया तो ये लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।"

9. परिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य अन्तर्गत धारा- 246 दं०प्र०सं० में स्वयं को पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराया है। जिसमें परिवादी ने कथन किया है कि "घटना दिनांक 01.06.2017 को समय शाम 8 बजे मैं अपने घर पर था। उस दिन मेरे पड़ौसी ओमवीर, प्रदीप, श्याम, गोविन्द व ओमप्रकाश ने मेरे व मेरी पत्नी के साथ एक राय होकर कोई मारपीट नहीं की थी, ना गाली-गलौंच की और ना ही जान से मारने की धमकी दी। यह कहना सही है कि मेरा उपरोक्त मुल्जिमानों से समझौता हो गया है।"

10. पी०डब्लू० 2 सुशीला देवी ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में धारा- 244 दं०प्र०सं० में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण धारा- 246 दं०प्र०सं० में पी०डब्लू० 2 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है।

11. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

समीक्षा एवं निष्कर्ष

12. परिवाद कथानक अनुसार परिवादी द्वारा अभियुक्तगण पर दिनांक 01.06.2017 को समय शाम करीब 08:00 बजे, स्थान मकान परिवादी ग्राम मैना मौजपुर थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर कर हिंसा का प्रयोग करते हुए परिवादी के घर का सामान कूलर,

मेज व कुर्सी आदि तोड़ने तथा परिवादी व उसकी पत्नी के साथ लाठी-डण्डों से मारपीट कर गाली-गलौंच कर उन्हें जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है।

13. न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि परिवादी अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा 147, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं० को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

14. परिवादी की ओर से धारा-244 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पी०डब्लू० -1 रविन्द्र शर्मा (स्वयं परिवादी) को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान धारा 244 दं०प्र०सं० में परिवाद-पत्र के कथनों का समर्थन किया है, परन्तु दौरान प्रतिपरीक्षण धारा 246 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कथन किया है कि घटना दिनांक 01.06.2017 को समय शाम 8 बजे उसके पड़ौसी अभियुक्तगण ओमवीर, प्रदीप, श्याम, गोविन्द व ओमप्रकाश ने उसके व उसकी पत्नी के साथ एक राय होकर ना मारपीट की थी, ना गाली-गलौंच की थी और ना ही जान से मारने की धमकी दी थी।

15. विदित है कि परिवादी की ओर से वाद समर्थन में साक्षीगण पी०डब्लू०-1 रविन्द्र शर्मा (स्वयं परिवादी) व पी०डब्लू० 2 चुटैल श्रीमती सुशीला देवी को परीक्षित कराया गया है। यद्यपि साक्षी पी०डब्लू० 1 परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद-पत्र के कथनों का पूर्ण समर्थन किया है परन्तु प्रतिरीक्षण अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० घटना के संबंध में धारा 244 दं०प्र०सं० से भिन्न बयान देते हुए विपक्षीगण द्वारा उक्त घटना कारित किये जाने से स्पष्ट इन्कार किया है। इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू० 1 के बयान अन्तर्गत धारा-246 दं०प्र०सं० वं धारा 244 दं०प्र०सं० परस्पर विपरीत व विरोधाभाषी है जिससे परिवाद-पत्र के कथनों को कोई बल नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने पी०डब्लू० 2 को धारा- 246 दं०प्र०सं० में प्रतिपरीक्षित नहीं कराया है। विदित है साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा मुख्य परीक्षा में परिवाद समर्थन में किए गए कथन की सत्यता के संबंध में जिरह करने का अवसर अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा वाद समर्थन में अभियुक्तगण के विरूद्ध मुख्य परीक्षा में धारा- 244 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत साक्ष्य पी० डब्लू० 2 पत्रावली पर ग्राह्य नहीं है।

16. आपराधिक न्यायशास्त्र का प्रमुख सिद्धान्त है कि दाण्डिक प्रकरण में अभियोजन को मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है। अभियोजन पक्ष (परिवादी) अभियुक्तगण ओमवीर, ओमप्रकाश, श्याम, गोविन्द व प्रदीप के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा- 147, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं० को संदेह से परे सिद्ध कर पाने में असफल रहा है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं।

17. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों के विश्लेषण के आधार पर अभियुक्तगण ओमवीर, ओमप्रकाश, श्याम, गोविन्द व प्रदीप आरोप अन्तर्गत धारा 147, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं० के अधीन दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **ओमवीर, ओमप्रकाश, श्याम, गोविन्द व प्रदीप** को परिवाद सं० 672/2017 थाना खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर के प्रकरण में अन्तर्गत **धारा 147, 427, 323, 504, 506 भा०दं०सं०** के विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

Addl. Chief Judicial Magistrate
Khurja, Bulandshahar.

प्रत्येक अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वे धारा 437-ए दण्ड प्रकिया संहिता के अर्न्तगत पृथक-पृथक अंकन 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र, इसी धनराशि की एक-एक जमानत एवं इस आशय की अंडरटेकिंग दाखिल करें कि यदि इस मामले में अपील होती है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर वह अपीलीय न्यायालय में नियत तिथि पर उपस्थित होंगे।

दिनांकः- 01.08.2026

(प्रियंवदा चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
J.O.Code- U.P. 3303

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः- 01.08.2026

(प्रियंवदा चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
J.O.Code- U.P. 3303

आशुलिपिक- अखिलेश आर्य

Addl. Chief Judicial Magistrate
Khurja, Bulandshahar.

Digitally signed by PRIYAMVADA CHOWDHARY
Date: 2026.08.06 05:06:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court